दूरभाष : 2280729
2280210
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

(6224)

पत्रांक : 5334/36/76/एक/2016-17 दिनांक 20 फरवरी 2017

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद आजमगढ़।

विषय :वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजना की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को **आसरा योजना** के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	588202010003650	IFSC Code UBIN0558826	42.175

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद / निकाय का नाम	अनुदान संख्या	आवासों की संख्या	किश्त	अवमुक्त धनराशि
1	आजमगढ़/जियनपुर	83	60	द्वितीय	42.175
	योग				42.175

उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों में चिन्हित आसरा योजना में प्रस्तावित उपरोक्त **आवासों की** परियोजनाओं में योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाये.

1– कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप आसरा योजनान्तर्गत स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एव कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

3 योजनान्तर्गत जो भी कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय व्यवस्था के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

4– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य कर लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होगी है तो उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा.

5 उक्त धनराशि डूडा/कार्यदायी संस्था द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जायें, क्योंकि स्वीकृत परियोजना/निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण न कराये जाने की दशा में कोई भी मूल्य वृद्धि मान्य नही होगी।

दूरभाष 2286709
2286710
[illegible] 226001

6242

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

6-- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7— सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यपवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

8— **सूडा द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से सूडा द्वारा एम०ओ०यू० (अनुबन्ध) की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के उपरान्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाये।**

9. सूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के अनुरूप स्थल पर सम्पादित किये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तापरक हैं, आदि का अनुश्रवण स्थानीय स्तर पर सूडा के सहायक परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. निदेशक, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
3. सहायक परि० अधिकारी, कार्यक्रम अनुभाग, सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल सूडा।
5. लेखा विभाग सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक